कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची ।

पत्र संख्या 679 / राँची, दिनांक 11.5.04

। नि0विधि 8/2001

प्रेषक,

श्री अजय कुमार सिंह,
निबंधक, सहयोग समितियाँ,
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, राँची ।
सभी संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड,
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड ।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड ।

विषय:- झारखण्ड सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1935 की धारा 11 के अन्तर्गत के निबंधन के पूर्व निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची की पूर्वानुमति प्राप्त करने के संबंध में ।

महाशय,

विदित हो कि झारखण्ड सरकार, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत अधिसूचना ज्ञापांक 230 दिनांक 16.3.2004 के द्वारा झारखण्ड सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 की धारा 11 के अन्तर्गत सहकारी समितियों के निबंधन की शक्तियां विभिन्न स्तर से सहकारिता पदाधिकारियों को प्रदान की गई है । दिनांक 30.4.2004 को राज्यस्तरीय विभागीय पदाधिकारियों की समितियों के संबंध में समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि:-

(क) झारखण्ड राज्य में निबंधित समितियों में अधिकतर समितियाँ मृतप्रायः हो चुकी है ।

(ख) निबंधित सहकारी समितियों की संख्या हजारों में है । इसी कारण सभी समितियों में समय पर अंकेक्षण नहीं हो पा रहा है ।

(ग) समितियों के निबंधन के पूर्व सही ढंग से जाँच नहीं होने के कारण अधिकांश सहकारी समितियाँ या तो जेबी संस्थाऐं बन जाती है अथवा मृत हो जाती है ।

(घ) सहकारी समितियों के निबंधन के उपरान्त उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्यशील पूँजी की आवश्यकता पड़ती है । निबंधन से पूर्व कार्यशील पूँजी की संभावित उपलब्धता के सम्बन्ध में जाँच नहीं किए जाने के कारण ही अधिकतर सहकारी समितियाँ कार्यरत नहीं रह पाती है ।

.....2

(3) जिला स्तर पर मृतप्राय समितियों के परिसमापन की कार्रवाई भी नहीं की जा रही है । इसलिए सिर्फ सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ती जा रही है जबकि उसमें से कार्यरत समितियों की संख्या बहुत कम है ।

अतः समुचित विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि इस कार्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत आदेश के क्रम में झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन के पूर्व ली जाने वाली पूर्वानुमति के समरूप ही झारखण्ड सहकारी समिति अधिनियम 1935 के अन्तर्गत समितियों के निबंधन के पूर्व निबंधक सहयोग समितियों की पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात ही अपने स्तर से निबंधन की कार्रवाई की जाय ।

अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि संलग्न जाँच-पत्र के सभी कॉलम को पूर्णतः भरकर प्रस्तावित समिति के निबंधन प्रस्ताव पर अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य प्राप्त करने के उपरान्त ही अपने स्तर से निबंधन की कार्रवाई करें ।

विश्वासभाजन

(अजय कुमार सिंह)
निबंधक, सहयोग समितियाँ ।

ज्ञापांक 679 / राँची, दिनांक 11.5.04

प्रतिलिपि- सचिव, सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

पी0के0/5.5.04

(अजय कुमार सिंह)
निबंधक, सहयोग समितियाँ ।

Scanned by CamScanner

पत्रांकः–6/पणन (सहकारी समिति निबंधन) – 02/06 सह0 1606/

झारखण्ड सरकार
सहकारिता विभाग,

प्रेषक,

श्री एन0 एन0 सिन्हा,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी संयुक्त निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड।
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झार,खण्ड।

/रॉंची, दिनांकः– 13.8.07

विषयः– सहकारी समितियों के निबंधन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक 26.06.2007 को आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 एवं झारखण्ड स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के तहत विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय में निबंधन हेतु लम्बित प्रस्तावें को सम्यक जाँचोपरान्त 15 दिनों के अन्दर निबंधन योग्य समितियों का निबंधन करने तथा निबंधन के अयोग्य प्रस्तावों को निरस्त करने का निदेश दिया गया था। प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त निदेश के बाबजूद अभी भी अनेक कार्यालयों में प्रस्ताव लंबित है, जो अत्यन्त आपत्तिजनक है।

विदित है कि विभागीय अधिसूचना संख्या 230 दिनांक 16.03.2004 द्वारा पदाधिकारियों को निबंधन हेतु निम्नवत् शक्तियाँ प्रदत्त है :–

क्र0	पदाधिकारी का नाम	प्रदत्त शक्तियाँ की सीमा
1.	निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड	अधिनियम के अन्तर्गत पूर्ण शक्ति।
2.	सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड	निबंधक, सहयोग समितियाँ की पूर्वनुमति से प्रमण्डल स्तर की सभी प्रकार की समितियाँ
3.	सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी, झारखण्ड	प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक की पूर्वानुमति से जिला स्तर की सभी प्रकार की समितियाँ/शहरी क्षेत्र की प्राथमिक सहयोग समितियाँ
4.	सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड	जिला सहकारिता पदाधिकारी की पूर्वानुमति से ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक समितियाँ

Scanned by CamScanner

अतः निदेश दिया जाता है, कि समितियों के निबंधन हेतु लंबित प्रस्तावों को सभी सक्षम पदाधिकारी सम्यक जाँच कर अविलम्ब निबंधन योग्य समितियों का निबंधन करेंगे और जो प्रस्ताव निबंधन योग्य नही है वैसे प्रस्ताव को तत्काल निरस्त कर संबंधित संगठनकर्त्ता/प्रर्वत्तक को सूचित करें। साथ ही निदेश दिया जाता है कि सहकारी समितियों के निबंधन हेतु प्राप्त प्रस्तावों की सक्षम पदाधिकारी द्वारा जाँच दस दिनों एवं प्राधिकृत पदाधिकारी से निबंधन की अनुमति पाँच दिनों अर्थात् कुल 15 दिनों के अन्दर अनिवार्य रूप से पूरी कर योग्य समितियों का निबंधन किया जाय। किसी भी परिस्थिति में समितियों के निबंधन के मामलों को 15 दिनों से अधिक समय तक लंबित नहीं रखा जाय अन्यथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी। कृत कार्रवाई का अनुपालन एवं समितियों के निबंधन की प्रगति का मासिक प्रतिवेदन विभाग को नियमित रूप से समर्पित किया जाय।

10.02.07

विश्वास भाजन,

10/8/07

(एन0 एन0 सिन्हा)
सरकार के सचिव

Scanned by CamScanner